# भारत सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु
# जनपद–शाहजहाँपुर में
# गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 28.01.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे जलपूर्ति अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 95/छियत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0–अ0 लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एंव स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्गत दिशा निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यकमों के प्रभावी कियान्वन तथा मूल्याकंन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 28.01.2023 को कलेक्टेट स्थित सभागार, शाहजहाँपुर में आयोजित की गयी है। बैठक में मै0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा प्रेषित 37 नग डी0पी0आर0 (53 ग्राम पंचायत, 100 राजस्व ग्राम) को विचारोपरान्त SWSM को प्रेषित किया जाना है।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | जिलाधिकारी शाहजहाँपुर | अध्यक्ष |
| 2 | मुख्य विकास अधिकारी शाहजहाँपुर | उपाध्यक्ष |
| 3 | प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके नामित सदस्य | सदस्य |
| 4 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहाँपुर | सदस्य |
| 5 | परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर | सदस्य |
| 6 | जिला विकास अधिकारी शाहजहाँपुर | सदस्य |
| 7 | बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर | सदस्य |
| 8 | अधिशासी अभियंता वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई शाहजहाँपुर | सदस्य |
| 9 | अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई, शाहजहाँपुर | सदस्य |
| 10 | जिला कृषि अधिकारी शाहजहाँपुर | सदस्य |
| 11 | जिला सूचना एंव जनसंपर्क अधिकारी शाहजहाँपुर | सदस्य |
| 12 | अधिशासी अभियंता वि0/या0 उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद शाहजहाँपुर। | सदस्य |
| 13 | अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर | सदस्य सचिव |

1. जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल अपूर्ति हेतु फर्म मै एन0सी0सी0 लि0, हैदाराबाद को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" द्वारा फर्म को 1032 ग्राम पंचायतो (2033 राजस्व ग्राम) की सूची उपलब्ध करायी गयी। ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत किए गये निर्देशो के अनुपालन मे प्राक्कलन विरचित किये गए है, जिसकी जल निगम एवं मै0 मेधज टैक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0 (डी0पी0एम0यू0), शाहजहाँपुर द्वारा तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जांच की गयी। फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 मे ली गयी कार्यो की दरें SWSM Schedule रेट के आधार पर ली गयी है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा मानकीकृत प्रति व्यक्ति 55 एल0पी0सी0डी0 की दर से अभिकल्पित वर्ष 2052 के लिए विरचित किया गया है।
2. वर्तमान तक "जिला पेयजल मिशन" समिति द्वारा 602 नग डी0पी0आर0 (1491 राजस्व ग्राम) अधिशासी निदेशक नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है तथा 591 नग डी0पी0आर0 (1375 राजस्व ग्राम) नग की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसी कम में आज बैठक में पुनः 37 नग डी0पी0आर0 (53 ग्राम पंचायत, 100 राजस्व ग्राम) "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त डी0पी0आर0 में 37 नग डी0पी0आर0 (53 ग्राम पंचायत, 100 राजस्व ग्राम) का तकनीकी परीक्षण किया गया एंव यह भी सुनिश्चित कर लिया गया कि मुख्य अभियंता ग्रामीण उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश को संज्ञानित कराते हुये प्राकलनों का तकनीकी परीक्षण खंड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), शाहजहाँपुर द्वारा किया गया है, जो कि निम्नवत् हैः–

1. योजनाओ की प्रति व्यक्ति कार्य लागत जनपद के लिए औसतन 6000 रू से कम रखी गयी है, जिसकी पुष्टि तालिका के अंत मे अंकित औसत से स्पष्ट है।

2. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिस योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रू 7000 से अधिक है, उन योजनाओ का स्थालीय परिक्षण करा लिया गया है एंव समस्त प्रस्ताव का मूल्याकंन स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप है।
3. पम्पिग प्लाट की डिजाइन मे हैड अधिकतम 50 मी0 के आधार पर ही प्रस्तावित किया है। इसका परिक्षण अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक द्वारा कर लिया गया है।
4. सोलर पी0वी0 माडयूल की क्षमता किलोवाट, पम्प की क्षमता हार्स पावर से अधिकतम 1.4 गुना के आधार पर ही प्रस्तावित की गयी है।
5. जिन योजनाओ मे रोड कटिंग की पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक है, उस स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण किया गया है एंव प्रस्तावित कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गयी है।
6. योजना की डिजाइन जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की गयी है एंव आधार वर्ष से अभिकल्पित जनसख्या अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि के अंतर्गत ही प्रस्तावित की गयी है।
7. प्रति घर व्यक्तियों की संख्या 4 से 8 के बीच रखी गयी है।
8. वितरण प्रणाली मे सैड बेडिंग का प्रविधान नही किया गया है।
9. जलकल परिसर मे सामान्यतः मिटटी भराई प्रस्तावित नही है। जिस ग्राम पंचायत मे जलकल परिसर के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही है एंव मिटटी भराव अपरिहार्य है, कि स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की गयी है एंव इसी आधार पर संस्तुति करते हुये डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है।
10. स्पेयर पम्पस का प्रावधान नही किया गया है।
11. योजनओ की जो विशिष्टियां राज्य योजना स्वीकृति रखी गई है, उनमे किसी भी प्रकार का तकनीकी या वित्तीय विचलन नही हो रहा है।
12. सभी कार्य सक्षम अभियंताओ की देखरेख में ही सम्पन्न कराये जाए और टी0पी0आई0 द्वारा लगातार गुणवत्त सुनिश्चित कराये जाने का अनुपालन किया जायेगा।
13. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नही किया जायेगा, प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप इसमे निर्माण लिया जायेगा।
14. साथ ही अवगत कराना है कि योजनाओ मे प्रस्ताव का परीक्षण मौंके पर स्थलीय परीक्षण के अनुरूप लिया गया है एंव इन कार्यो के सम्पादन के उपरान्त योजना अपने उददेश्य में जनोपयोगी हो सकेगी।

डी0डब्ल्यू0एस0एम0 बैठक दिनांक 23.01.2023 की रोकी गयी शेष 03 नग डी0पी0आर0 (05 ग्राम पंचायत 11 राजस्व ग्राम) जिनकी लागत 5.00 करोड़ से अधिक थी, के सम्बन्ध में अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति शाहजहाँपुर द्वारा पूछे जाने पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया।

- सेहरामऊ ग्रामीण पेयजल योजना– उक्त पेयजल योजनान्तर्गत क्रियात्मक पेयजल गृह संयोजन अन्य योजना की अपेक्षा अधिक 1335 हैं, जिसके कारण योजनान्तर्गत 450 कि0ली0 / 14 मीटर स्टेजिंग के अवर जलाशय का प्राविधान मानक के अनुसार करते हुए उसी प्रकार योजना पर वितरण प्रणाली 14020 मीटर का प्राविधान किया गया है तथा उक्त ग्राम के अन्तर्गत सर्वे में इन्टर लॉकिंग, सी0सी0 रोड एवं बिटुमिन की अत्यधिक सड़के पायी गयी हैं, जिसके फलस्वरूप योजना की लागत में वृद्धि हुई है एवं योजना 5.00 करोड से अधिक की मानक के अनुसार बनायी जानी पड़ी। (आवश्यक फोटोग्राफ संलग्न)
- अन्तोना ग्रामीण पेयजल योजना– उक्त योजना अन्तर्गत 03 ग्राम पंचायत (अटकोना, रामपुर कला एवं रौतापुर) एवं 09 राजस्व ग्राम सम्मिलित है। योजनान्तर्गत क्रियात्मक पेयजल गृह संयोजन अन्य योजना की अपेक्षा अधिक 1179 हैं, जिसके कारण योजनान्तर्गत 325 कि0ली0 / 18 मीटर स्टेजिंग के अवर जलाशय का प्राविधान मानक के अनुसार करते हुए उसी प्रकार योजना पर वितरण प्रणाली 30332 मीटर का प्राविधान किया गया है तथा उक्त ग्राम के अन्तर्गत सर्वे में इन्टर लॉकिंग, सी0सी0 रोड एवं बिटुमिन की अत्यधिक सडके पायी गयी हैं, जिसके फलस्वरूप योजना की लागत में वृद्धि हुई है एवं योजना 5.00 करोड से अधिक की मानक के अनुसार बनायी जानी पड़ी। (आवश्यक फोटोग्राफ संलग्न)
- बौरी ग्रामीण पेयजल योजना– उक्त पेयजल योजनान्तर्गत क्रियात्मक पेयजल गृह संयोजन अन्य योजना की अपेक्षा अधिक 1081 हैं, जिसके कारण योजनान्तर्गत 350 कि0ली0 / 16 मीटर स्टेजिंग के अवर जलाशय का प्राविधान मानक के अनुसार करते हुए उसी प्रकार योजना पर वितरण प्रणाली 20960 मीटर का प्राविधान किया गया है तथा उक्त ग्राम के अन्तर्गत सर्वे में इन्टर लॉकिंग, सी0सी0 रोड एवं बिटुमिन की अत्यधिक सड़के पायी गयी हैं, जिसके फलस्वरूप योजना की लागत में वृद्धि हुई है एवं योजना 5.00 करोड से अधिक की मानक के अनुसार बनायी जानी पड़ी। (आवश्यक फोटोग्राफ संलग्न)

उक्त क्रम मे ग्रामीण क्षेत्रो मे पेयजल अपूर्ति हेतु 37 नग डी0पी0आर0 जल निगम द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरांत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए।

उक्त के क्रम में बैठक में अन्य निम्न बिन्दुओ पर निर्देश दिये गये–

1. मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मै0एन0सी0सी0 को गृह जल सयोजन के मासिक लक्ष्य जो वर्तमान में 79.31 की पूर्ति कर रहा है, को शत् प्रतिशत मैन पॉवर को बढ़ाते हुए पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये एवं यह भी निर्देशित किया गया कि मै0एन0सी0सी0 कार्यो की प्रगति बढ़ाने हेतु 1200 प्रतिदिन एफ0एच0टी0सी0 के लक्ष्य की प्राप्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
2. मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आई0एस0ए0 को निर्देशित किया गया कि जहां पाइप पेयजल योजनाओ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं वहां चयनित आई0एस0ए0 द्वारा जल कर बसूली (टैरिफ चार्ज) मानक के अनुरूप लाभार्थियों से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
3. जलकर बसूली के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत में जहां पेयजल योजना के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं वहां ग्राम प्रधानों को पाइप पेयजल योजना मानक के अनुरूप संचालित कराये जाने हेतु प्रेरित किया जाये, जिस हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक निर्धारित की जाये।
4. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन 75 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा परियोजनाए पूर्ण क्षमता के साथ संचालित हैं उन परियोजनाओं की जांच ग्राम पचायतवार परियोजनाएं आवंटित कराते हुए परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, जिला विकास अधिकारी, जिला पचायत राज अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी एव अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग को नामित करते हुए करायी जाये।
5. जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में निर्देशित किया गया कि वांछित 1936 निःशुल्क भूमि के सापेक्ष अभी भी 09 निःशुल्क भूमि के प्रस्ताव प्राप्त होना शेष है, जिसपर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के माध्यम से कार्यवाही पूर्ण कराते हुए भूमि की उपलब्धता शत् प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

अत: सम्यक विचारोपरान्त उक्त 37 नग डी0पी0आर0 (100 राजस्व ग्राम) तथा दिनांक 23.01.2023 की बैठक में प्रस्तुत 05 करोड़ से अधिक 03 डी0पी0आर0 (11 राजस्व ग्राम) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की संस्तुति के आधार पर स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
शाहजहाँपुर।
(सदस्य सचिव)

for अधिशासी अभियन्ता
(वि0/यां0)
खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम,
मुरादाबाद।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला कृषि अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
वाटर रिर्सोसेज/सिंचाई
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर
सदस्य

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

प्रभागीय वनाधिकारी स्वय अथवा
उनके नामित सदस्य,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

मुख्य विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
उपाध्यक्ष

जिलाधिकारी, (अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शाहजहाँपुर।